कम्बाइण्ड प्री–मेडिकल टेस्ट (सी0पी0एम0टी0) 2016
Combined Pre-medical Test (C.P.M.T.) 2016

विवरण–पुस्तिका (Brochure)

उत्तर–प्रदेश राज्य के

एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., पाठ्यक्रम

(M.B.B.S., B.D.S., B.H.M.S., B.A.M.S., B.U.M.S. Courses of U.P.)

आवेदन के लिए निर्धारित वेबसाइटः **www.cpmtup2016.org**

परीक्षा की तिथि
(मंगलवार, 17 मई, 2016)

Examination Date
(Tuesday, 17th May, 2016)

अध्यक्ष, सी.पी.एम.टी.–2016 (Chairman, CPMT-2016)

प्रो0 जी0सी0आर0 जायसवाल,

कुलपति, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उ0प्र0

अस्वीकृति (DISCLAIMER): परीक्षा निकाय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद आवेदन पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे– काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद उत्तरदायी नहीं है।

विषय सूची

(Index)

पृष्ठ संख्या

1 महत्वपूर्ण सूचना	3
2 सी.पी.एम.टी. 2016 से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ	4
3 महत्वपूर्ण सूचनाएं	5
4 आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया	7
5 सी0पी0एम0टी0 2016 के सन्दर्भ में सामान्य सूचनाएं	10
6 परीक्षा कार्यक्रम	11
7 अर्हताएं	11
8 आरक्षण	14
9 प्रवेश–पत्र	17
10 अनुचित साधन	18
11 चयन एवं काउंसिलिंग	18
12 कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या	22
13 प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम	24
14 आरक्षण श्रेणियों के कोड़	24
15 प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	25

महत्वपूर्ण–सूचना (Important Information)

1. यह विवरण–पुस्तिका उत्तर–प्रदेश शासनादेश सं. 1047/71–2–2016–127/2011 दिनांक 05 मार्च 2016 के अनुसार तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ से विचार–विमर्श कर तैयार की गयी है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।
2. सी0पी0एम0टी0 परीक्षा 2016 से भरी जाने वाली सीटों का कालेजवार तथा पाठ्यक्रमवार विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसमें सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप किया जायेगा।
3. सी0पी0एम0टी0–2016 के परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व अथवा बाद में, जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिसमें अनारिक्षत श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा। साथ ही शासन को आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय, सी0पी0एम0टी0–2016 से सम्बन्धित आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है।
4. सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा से संबंधित समस्त विधिक वाद उ.प्र. के इलाहाबाद उच्च–न्यायालय की लखनऊ खण्ड–पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।
5. प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी.पी.एम.टी.–2016 के आयोजन में परीक्षा सम्पादन एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा संपन्न कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर संपर्क स्थापित करें।

चेयरमैन, (सी.पी.एम.टी.–2016)
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद–224001 (उत्तर प्रदेश)

6. मेरिट–सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा।
7. डॉ0 राम मनोहर लाहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा सी.पी.एम.टी–2016 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई संबंध है।
8. कॉलेजों के नाम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति तथा नियम इत्यादि, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र. तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी हैं। इसके लिये परीक्षा–आयोजक संस्था डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद का कोई दायित्व नहीं है।
9. सी0पी0एम0टी0–2016 हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी–समस्या के निदान के लिए आवेदनकर्ता helplinecpmt2016@gmail.com पर ई–मेल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

चेतावनी (Warning)

- परीक्षार्थियों को संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन करने से पूर्व अधिमानी अर्हता का आंकलन उन्हें स्वयं करना होगा। परीक्षा निकाय अर्हता की पात्रता का आंकलन नहीं करेगा। अर्हता का आंकलन मूल प्रमाण पत्रों से काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय होगा। अर्हता के अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- बायोमेट्रिक पद्धति (शारीरिक चिन्हों जैसे उँगली के निशानों अथवा आँखों की पुतलियों द्वारा व्यक्ति विशेष की पहचान की पद्धति) से अभ्यर्थी की पहचान का अनुसरण होगा। चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि, परीक्षा, काउन्सिलिंग या प्रवेश के पश्चात पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

सी.पी.एम.टी.–2016 (उ0प्र0) से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ
Important Dates for CPMT-2016 (U.P.)

1.	अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अवधि	दिनांक 10 मार्च, 2016 से 12 अप्रैल, 2016 तक
2.	अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन उपरान्त आवेदन सम्बन्धी फीस ऑन–लाईन अथवा बैंक–चालान के माध्यम से जमा करने की अवधि	दिनांक 11 मार्च, 2016 से 13 अप्रैल, 2016 तक
3.	अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि	दिनांक 12 मार्च, 2016 से 15 अप्रैल, 2016 तक
4.	अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाईन प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की अवधि	दिनांक 11 मई, 2016 से 16 मई, 2016 तक
5.	**प्रवेश परीक्षा तिथि**	**दिनांक 17 मई, 2016 (दिन मंगलवार)**
6.	परीक्षा परिणाम व उत्तर कुंजी घोषित करने की तिथि	दिनांक 01 जून, 2016
7.	स्क्रूटनी हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 03–04 जून, 2016
8.	विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के परीक्षण हेतु विकलांगता बोर्ड का गठन	दिनांक 15 जून 2016 (संभावित तिथि)
9.	प्रथम चक्र की काउंसिलिंग (मात्र एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु)	दिनांक 06 जुलाई 2016 से 15 जुलाई 2016 के मध्य
10.	प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22 जुलाई 2016
11.	द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग (समस्त पाठ्यक्रमों हेतु)	दिनांक 10 अगस्त 2016 से 22 अगस्त 2016 के मध्य
12.	द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 अगस्त 2016
13.	शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ	01 अगस्त 2016
14.	अपरिहार्य कारणों से रिक्त हुई एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों की सीटों को भरे जाने हेतु आवंटन (माप अप राउण्ड)	दिनांक 31 अगस्त 2016 तक
15.	तृतीय चक्र की काउंसिलिंग (बी0ए0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु)	दिनांक 28 सितम्बर 2016 से पूर्व
16.	तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित कालेज में योगदान देने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक
17.	बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आवंटन की तिथि	दिनांक 30 अक्टूबर 2016 तक

टिप्पणी :

1. उपरोक्त समय–सारिणी रिट याचिका (सिविल) संख्या–76 ऑफ 2015 आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 के अनुपालन के क्रम में प्रस्तावित की गयी है।

2. काउन्सिलिंग की तिथियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की घोषणा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (डी.जी.एम.ई.) उत्तर प्रदेश, D.G.M.E., UP लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.in पर उपलब्ध होगी।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ (Important Informations)

1. कृपया सी0पी0एम0टी0–2016 के आवेदन से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका (Brochure) की pdf फाइल को निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org से डाउनलोड कर लें। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त ही आवेदन की ऑन–लाइन प्रक्रिया सम्पादित करें।

2. आवेदन केवल ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा। कोई भी आवेदन–पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा। सी0पी0एम0टी0–2016 की वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जानी है। प्रथम चरण में आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना है। द्वितीय चरण आवेदन–शुल्क के भुगतान से सम्बन्धित है। तीसरे चरण में आवेदक को सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरते हुए ऑन–लाइन ही सबमिट करना है। आवेदन की इस त्रिस्तरीय प्रक्रिया में प्रत्येक प्रक्रिया के सम्पादन के एक कार्यदिवस (माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को छोड़कर / except 2nd and 4th Saturday of the month) उपरान्त ही अगली प्रक्रिया सम्पन्न करनी है।

3. आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में चालान के माध्यम से आवेदन–शुल्क का नगद भुगतान अथवा इण्टरनेट पेमेन्ट गेट–वे (डेबिट / क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से भुगतान के एक कार्यदिवस (माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को छोड़कर / except 2nd and 4th Saturday of the month) बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चालान के माध्यम से नगद भुगतान अथवा इण्टरनेट पेमेन्ट गेट–वे (डेबिट / क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से भुगतान की अन्तिम तिथि बुधवार 13 अप्रैल 2016 निश्चित है।

4. आवेदक, जो भुगतान की अन्तिम तिथि बुधवार 13 अप्रैल 2016 को चालान के माध्यम से नगद भुगतान अथवा इण्टरनेट पेमेन्ट गेट–वे (डेबिट / क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से भुगतान करते हैं, वे 15 अप्रैल 2016 को सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

5. आवेदनकर्ता यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान या ऑन–लाइन आवेदन नहीं कर पाते अथवा आवेदन सम्बन्धी त्रि–स्तरीय प्रक्रिया (रजिस्ट्रेशन, आवेदन–शुल्क–भुगतान, ऑन–लाइन–आवेदन) के तीनों चरणों की सापेक्षिक प्रक्रिया नहीं सम्पादित करते, तो ऐसी दशा में आवेदनकर्ता का सी0पी0एम0टी0–2016 में आवेदन सम्बन्धी दावा किसी भी दशा में परीक्षा–निकाय द्वारा पोषणीय / विचारणीय नहीं होगा।

6. **नान–रिफण्डेबल आवेदन शुल्कः– सामान्य / अन्य–पिछड़ा–वर्ग आवेदकों के लिए रू0 1400 / – एवं रू0 700 / – अनुसूचित–जाति / अनुसूचित–जनजाति के लिए। इसमें काउन्सिलिंग शुल्क (Counselling Fee) रू0 50 / – सम्मिलित है। बैंक–ट्रान्जैक्शन–शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा जिसका विवरण निम्नवत् है–**

भुगतान का माध्यम	शुल्क
एस.बी.आई. नेट बैंकिंग	रू0 10 / – प्रति ट्रान्जैक्शन
स्टेट बैंक डेबिट कार्ड	रू0 10 / – प्रति ट्रान्जैक्शन
दूसरे बैंकों से इंटरनेट बैंकिंग	रू0 15 / – प्रति ट्रान्जैक्शन
दूसरे बैंकों के डेबिट कार्ड	रू0 2000 / – तक 0.75 प्रतिशत ट्रान्जैक्शन की रकम का (न्यूनतम रू0 11 / –)
कोई भी क्रेडिट कार्ड	1.0 प्रतिशत ट्रान्जैक्शन की रकम का (न्यूनतम रू0 11 / –)
नगद / चेक द्वारा जमा राशि (15,000 से ज्यादा एस.बी.आई. शाखाओं में)	रू0 50 / –
	सेवा–कर अतिरिक्त

7. इस विवरण–पुस्तिका में उल्लेखित अर्हता–खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा–निकाय आवेदक की पात्रता का आंकलन नहीं करेगा। पात्रता मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य–पात्र प्रवेश के योग्य नहीं होंगें और वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

8. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि मंगलवार, 15 अप्रैल 2016 सांय 5 बजे तक है।**

9. आवेदन–पत्र में दी जा रही सूचना के आधार पर आवेदक को सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में मांगी गयी श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। किन्तु काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मूल–प्रमाणक देखे जायेंगे तथा उनके आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ अनुमन्य है अथवा नहीं। केवल इस आधार पर कि सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अभ्यर्थी आवेदित श्रेणी का लाभ पाने का हकदार नहीं हो जायेगा। जिस प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा उसके फर्जी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर नया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

10. आवेदन–पत्र में लिखी या दी गयी किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यहीन सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा इससे पूर्व यथास्थिति डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अथवा काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा की जायेगी।

11. आवेदन के सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं –

1. **आवेदन–पत्र cpmtup2016.org वेबसाइट पर केवल ऑन–लाइन (ON-LINE) ही भरना है।** आवेदन–पत्र किसी भी कागज पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने आवेदन का प्रिन्ट, ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात सुनिश्चित कर लें।

2. अतिशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार के ऑन–लाइन तकनीकी व्यवधान के लिए "परीक्षा–निकाय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद" उत्तरदायी नहीं होगा।

3. पूरित ऑन–लाइन आवेदन के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन मान्य नहीं है।

4. अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

5. **पूरित आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रदत्त सूचनाएं सही हैं। एक बार पूरित आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।**

6. एक से अधिक बार आवेदन न करें, अन्यथा पहले वाला आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

7. किसी भी प्रकार के दस्तावेज ड़ाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

8. भविष्य में पत्राचार के लिए रजिस्ट्रेशन आई.डी. नम्बर (Registration ID Number) का उल्लेख करें।

–: आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया :–

ऑन–लाइन आवेदन के लिए निर्धारित वेबसाइट : www.cpmtup2016.org
Website assigned for on-line application : www.cpmtup2016.org

1. आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कम्प्यूटर, इण्टरनेट–कनेक्शन, प्रिन्टर की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया इस विवरण पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन करते समय आपको अपना Scanned photo, अपने हस्ताक्षर की scanned copy तथा दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप (Right hand Thumb Impression) की scanned copy तैयार रखना है।
2. लॉग–इन (log in) : सर्वप्रथम उपरोक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन/लॉग–इन को क्लिक करें। तत्पश्चात Declaration of the candidate को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। New User Page पर प्रथम बार रजिस्टर्ड होने वाले अभ्यर्थी New user के रूप में रजिस्ट्रेशन करवायेंगें, जिसमें उन्हें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, जन्म–तिथि, ई–मेल आई.डी. एवं अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नम्बर भरना होगा। स्मरण रहे कि आपको सारे पत्राचार लॉग–इन में प्रयुक्त किए गए पंजीकृत मोबाइल नम्बर (Registered Mobile Number) एवं ईमेल आई.डी. (Registered Email ID) से ही करने होंगें। एक ई–मेल आई.डी. केवल एक ही अभ्यर्थी के लिए ही प्रयोग हो सकती है।
3. लॉग–इन करने के बाद स्वतः एक यूजर आई डी और पासवर्ड आपके द्वारा प्रयोग किये गए मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दिया जायेगा। इसके उपरान्त Application Status Page (आवेदन–स्थिति–पृष्ठ) पर दिये गए लिंक "click here to make fee payment (फीस पेमेन्ट के लिए यहां क्लिक करें)" पर click (क्लिक) करें और निर्देशानुसार आवेदन–शुल्क के भुगतान सम्बन्धी आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें। आवेदन सम्बन्धी फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपना एप्लीकेशन फार्म सबमिट करें और प्रिन्ट निकाल लें। प्रिन्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको प्रथम पृष्ठ पर पूरित आवेदन पत्र तथा द्वितीय पृष्ठ पर candidate declaration form का प्रिन्ट–आउट प्राप्त हो जाएगा। इसे भविष्य के उपयोगार्थ एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
4. **भुगतान की प्रक्रिया** : अभ्यर्थी ऑन–लाइन–फीस (Online-fee) जमा करने के लिए इस पृष्ठ के बिन्दु–3 पर दी प्रक्रिया के अनुसार सी0पी0एम0टी0–2016 की वेबसाइट पर दिये गए लिंक का उपयोग करेंगे। यह प्रक्रिया आवेदक को आवेदन–शुल्क सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्पादन के उद्देश्य से स्टेट–बैंक–ऑफ–इण्डिया के लिंक (Link) से जोड़ देगा। इस प्रक्रिया का उपयोग कर आवेदक डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट–बैंकिंग के माध्यम से आवेदन–शुल्क का ऑन–लाइन भुगतान कर सकते हैं। जो आवेदक आवेदन–शुल्क को स्टेट–बैंक–ऑफ–इण्डिया की किसी ब्रांच में कैश जमा करना चाहते हैं वह उक्त प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त लिंक के माध्यम से बैंक–चालान जनरेट (generate) करते हुए ऐसा कर सकते हैं। अर्थात आवेदन–शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में आवेदक निम्न दो में से किसी एक माध्यम का चुनाव करेंगे–

   (क) ऑन–लाइन पेमेन्ट (Online payment) :- इसके लिए आवेदक डेबिट/क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें (किसी भी बैंक का)। इस प्रक्रिया का उपयोग करने वाले आवेदकों के लिए आवेदन–शुल्क (नान–रिफण्डेबल/non-refundable) इस प्रकार होगा–

   सामान्य/अन्य–पिछड़ा–वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन–शुल्क रू0 1400/– एवं अनुसूचित–जाति /अनुसूचित–जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 700/– है। इसमें काउन्सिलिंग शुल्क रू0 50/– सम्मलित है। बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त बैंक–ट्रान्जेक्शन–शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

(ख) बैंक–कांउटर पर कैश–पेमेंट (Cash Payment on Bank Counter) :- सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर आवेदन–शुल्क–भुगतान से सम्बन्धित ऑप्शन के माध्यम से बैंक के लिंक पर उपलब्ध स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) के चालान–फार्म को अपने आरक्षण–श्रेणी के अनुसार डाउनलोड कर लें। इस प्रक्रिया का उपयोग करने वाले आवेदकों के लिए आवेदन–शुल्क (नान–रिफण्डेबल / non-refundable) इस प्रकार होगा–

सामान्य / अन्य–पिछड़ा–वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन–शुल्क रू0 1400 / – + रू0 50 / – (बैंक–शुल्क) तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए रू0 700 / – + रू0 50 / – (बैंक–शुल्क) होगा।

आवेदन–शुल्क को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के निर्धारित खाते में उपरोक्त दो में किसी एक विधि से जमा करने के उपरान्त बैंक एक State Bank Collect Reference Number (स्टेट–बैंक–कलेक्ट–रेफरेन्स–नम्बर) प्रदान करेगा जिसका उपयोग आवेदन–पत्र पूरित करने की प्रक्रिया के दौरान करना होगा।

आवेदन–शुल्क (Application Fee) केवल सी0पी0एम0टी0 की वेबसाइट पर दिये गए लिंक द्वारा ही जमा की जा सकती है। जो आवेदक बैंक चालान द्वारा फीस जमा करने के इच्छुक हैं वो भी वेबसाइट पर दिये गए लिंक द्वारा ही चालान का प्रिंट लेंगें तथा उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में फीस जमा करेंगें।

महत्वपूर्ण–टिप्पणीः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि सी.पी.एम.टी.–2016 की वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया सम्पादित करने के एक कार्यदिवस (माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को छोड़कर / except 2nd and 4th Saturday of the month) पश्चात आवेदन–शुल्क (Application Fee) भुगतान की प्रक्रिया को सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर दिये हुए लिंक द्वारा ही सम्पादित करें। अन्य किसी भी तरीके से फीस स्वीकार नही की जाएगी। फीस का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट एवं क्रेडिट–कार्ड / इंटरनेट–बैंकिंग एवं बैंक–चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। बैंक–शुल्क आदि अभ्यर्थी स्वयं ही वहन करेंगे। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु अभ्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित ई–मेल आई0डी0 sbi.0075@sbi.co.in पर ई–मेल कर सकते हैं। **आवेदक, डेबिट–कार्ड / क्रेडिट–कार्ड / इंटरनेट–बैंकिंग द्वारा ऑन–लाइन अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में चालान के माध्यम से आवेदन–शुल्क का नगद भुगतान करने के एक कार्यदिवस (माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को छोड़कर / except 2nd and 4th Saturday of the month) बाद ही ऑन–लाइन आवेदन–पत्र पूरित कर सकेंगे।**

5. **फोटोग्राफः–** आवेदक का फोटोग्राफ एक जेपीजी (.jpg) फार्मेट की फाइल के रूप में होना चाहिए। **फाइल के नाम में किसी भी स्पेशल अक्षर (Special Character) का उपयोग न करें।** फोटोग्राफ सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं का अनुपालन करना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो का विवरण निम्न है–

''आवेदन के लिए केवल **रंगीन फोटोग्राफ** खिंचवायें। फोटो खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने गर्दन के सामने अवश्य रखें ताकि वह फोटो में स्पष्ट रूप से छपे। इसकी 10 प्रतियाँ (Passport size) बनवाकर रखें जो प्रवेश–पत्र, परीक्षा, काउंसिलिंग, प्रवेश इत्यादि में काम आयेंगीं। Sample photo निम्नवत् है–

1. उत्तम क्वालिटी की रंगीन फोटो का साइज़ 3.5 × 4.5 cm होना आवश्यक है तथा पूरा चेहरा कैमरे को देखते हए सफेद बैक ग्राउन्ड पर, बिना काले चश्में, बिना टोपी के होना आवश्यक है।
2. सिर से ऊपर से ठुड्डी की दूरी कम से कम 2 से 3 सेमी होनी चाहिए।
3. पोलरॉयड कैमरा व इंकजेट प्रिंटर के फोटो मान्य नहीं होंगे।
4. निम्नकोटि के फोटो (Low Resolutions Photograph) के साथ किए गए आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
5. फोटो 01 मार्च, 2016 से पहले का न हो।

6. **दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप (Right hand Thumb Impression):–** आवेदक अपने दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप एक सफेद बैकग्राउण्ड के साफ कागज पर स्टैम्प–इंक की सहायता से लगाएंगे तथा इसे स्कैन (scan) कर एक जेपीजी (.jpg) फार्मेट की फाइल के रूप में अपलोड करने के लिए सुरक्षित करेंगे। **फाइल के नाम में किसी भी स्पेशल अक्षर (Special Character) का उपयोग न करें।** ऑन–लाइन आवेदन पूरित करने समय दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप की इस .jpg फाइल को अपलोड करना होगा।

7. **हस्ताक्षर (Signature):–** आवेदक एक सफेद बैकग्राउण्ड के साफ कागज पर नीली स्याही के बाल–प्वाइण्ट पेन से अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे तथा इसे स्कैन (scan) कर एक जेपीजी (.jpg) फार्मेट की फाइल के रूप में अपलोड करने के लिए सुरक्षित करेंगे। **फाइल के नाम में किसी भी स्पेशल अक्षर (Special Character) का उपयोग न करें।** ऑन–लाइन आवेदन पूरित करते समय हस्ताक्षर की इस .jpg फाइल को अपलोड करना होगा।

8. लाग–इन (Log in) करने के उपरान्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड (upload) करते हुए ही आवेदन–पत्र (application form) भरें। प्रीव्यू (preview) देखने के साथ आवेदक फार्म में संशोधन भी कर सकते हैं। पूर्णरूप से भरे हुए फार्म को Final Submit Option (फाइनल–सबमिट–आप्शन) द्वारा ऑन–लाइन जमा करें। ध्यान रखें, एक बार Submit किये जा चुके फार्म में फिर कोई परिवर्तन/संशोधन संभव नहीं होगा।

9. अपने ऑन–लाइन पूरित आवेदन–पत्र का एक प्रिन्ट अवश्य ले लें और उसे Save कर लें। आवेदन–पत्र का प्रिन्ट लेते समय आवेदन–पत्र के साथ ही candidate's declaration form का प्रिन्ट भी आवेदक को प्राप्त हो जाएगा। इसे भविष्य में काउंसिलिंग सम्बन्धी प्रक्रिया के लिए सुरक्षित कर लें। काउंसिलिंग के समय आवेदक को candidate's declaration form के इसी प्रिन्ट–आउट की मूल–रूप में आवश्यकता पड़ेगी। आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन (Registration) क्रमांक नम्बर को भी पृथक रूप से लिख कर सुरक्षित कर लें, भविष्य के किसी भी प्रकार के पत्राचार में इसकी आवश्यकता पड़ेगी।

10. फार्म को सफलतापूर्वक submit किये जाने के उपरान्त आवेदक को मोबाइल और ईमेल आई.डी. (हमारे पास पंजीकृत) पर Successful submission की सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।

11. आवेदक आवेदन–पत्र (application form) भरने की उपरोक्त प्रक्रिया सम्पादित करने के लिए अपने लैपटाप (Laptop), डेस्कटाप (Desktop), किसी भी साइबर कैफे (Cybercafe), या सरकारी मेडिकल कालेज से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

सी.पी.एम.टी.–2016 के लिए ऑन–लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि

शुक्रवार, 15 अप्रैल, 2016 को सांय 5:00 बजे तक

Last Date for On-line Application for CPMT-2016

Till 5:00 pm on April 15, 2016 (Friday)

1. कम्बाइंड प्री मेडिकल टेस्ट (सी.पी.एम.टी.) 2016 के संदर्भ में सामान्य सूचनाएं
(General Information related to Combined Pre-Medical Test-2016)

(क) सी.पी.एम.टी.–2016 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2016–2017 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जायेगा।

1. एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S) 2. बी.डी.एस. (B.D.S) 3. बी.एच.एम.एस. (B.H.M.S)
4. बी.ए.एम.एस. (B.A.M.S) 5. बी.यू.एम.एस. (B.U.M.S)

(ख) सी.पी.एम.टी.–2016 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों में केवल एक ही प्रश्नपत्र होगा तथा परीक्षा एक ही दिन (**मंगलवार, 17 मई, 2016**) में तथा एक ही पाली में निम्न कार्यक्रमानुसार होगी –

एक प्रश्नपत्र : रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। **समय :** प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे दोपहर तक। प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न इंटरमीडिएट (10+2) यू.पी.बोर्ड स्तर के होंगे।

(ग) सभी विषयों के प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होंगे तथा **निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।**

(घ) चयनित अभ्यर्थियों जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा हिन्दी से उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें हिंदी विषय का एक प्रश्नपत्र जो हाईस्कूल स्तर के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना चयनित अभ्यर्थी डिग्री के लिए अर्ह नहीं होंगे। यह परीक्षा बाद में शासनादेश संख्या 4171/71–3–07–52/07 दिनांक 14 नवम्बर 2007 की व्यवस्था के अनुसार होगी।

(ङ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अर्हताएं खण्ड–3 में दी गयी हैं।

(च) सी.पी.एम.टी.–2016 के लिए आयोजक संस्था द्वारा गठित परीक्षक–मंडल द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप से मान्य होंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन केवल Computer द्वारा ही होगा। किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जायेगा। परन्तु पुनरीक्षण (Scrutiny) का प्रावधान है। आयोजक–विश्वविद्यालय द्वारा O.M.R. Sheet की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

(छ) प्रश्न–पत्र के उत्तरों को O.M.R. Sheet पर अंकित करने के लिये परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त पूरा 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।

(ज) परीक्षार्थियों को परीक्षा अवधि में परीक्षण हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रश्न–पत्र बुकलेट में छपे प्रश्नों के उत्तर उनको प्रदान किये जाने वाले पृथक उत्तर–पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट/O.M.R. Sheet) पर बाॅल–प्वाइण्ट पेन से अंकित करने होंगे। यह ओ0एम0आर0 शीट कार्बन–लेस तीन प्रतियों में (Carbonless triplicate copy) होगी। परीक्षार्थियों को इसकी प्रथम एवं तृतीय प्रति कक्ष–निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। द्वितीय प्रति परीक्षार्थी साथ ले जायेंगे।

(झ) **परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न–पत्र परीक्षा कक्ष में ही छोड कर जाना होगा, किन्तु रिट याचिका संख्या–4026/(एम/बी) आफ 2015 के निर्णय के आलोक में छात्रहित में प्रश्नपत्र बुकलेट के सभी सेट परीक्षा के उपरान्त दो कार्य दिवसों की सीमा में वेबसाईट www.cpmtup2016.org पर प्रदर्शित कर दिये जायेंगे।'**
परीक्षाफल घोषित होने के तत्काल बाद प्रश्न–पत्र की सही उत्तर–कुंजी (Answer Key) C.P.M.T.-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर प्रकाशित की जाएगी।

(ट) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, (लखनऊ बैंच) द्वारा सी.पी.एम.टी. के संबंध में पारित आदेशों का अनुपालन माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 418/एम./बी. ऑफ 1998 के विरूद्ध अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश के अधीन होगा।

2. परीक्षा कार्यक्रम (Examination Schedule)

सी.पी.एम.टी.–2016 प्रवेश–परीक्षा तिथि	:	17 मई, 2016 (मंगलवार)
Entrance Examination Date for CPMT-2016	**:**	**May 17, 2016 (Tuesday)**

समय	प्रश्नपत्र
प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे अपरान्ह तक	Zoology (जंतु विज्ञान), Botany (वनस्पति विज्ञान), Chemistry (रसायन विज्ञान) और Physics (भौतिक विज्ञान) के साथ केवल एक प्रश्न–पत्र

टिप्पणी :–

1. **परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाये।**

2. परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉग–टेबल, डिजिटल डायरी इत्यादि या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर फोन, ब्लूटूथ आदि) लाना वर्जित है।

3. सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर स्थान ग्रहण करें तथा उत्तरपुस्तिका में आवश्यक सूचनाएं प्रश्न पत्र शुरू होने से पूर्व भर लें। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

4. प्रश्न पत्र पर लगी हुई सील केन्द्राध्यक्ष के आदेशानुसार ध्वनि संकेत पर कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जानें पर ही तोड़ें।

5. प्रश्न पत्र में सम्मिलित प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में रचित होंगे।

6. **परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को विभिन्न सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। सी0पी0एम0टी0 परीक्षा–2016 के दौरान परीक्षा केंद्र पर उनकी फोटोग्राफी की जायेगी तथा बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक छात्र/छात्रा का बायोमेट्रिक–डेटा, , फिंगर–प्रिंट इत्यादि परीक्षा के समय ग्रहण किया जायेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी और अगर अभ्यर्थी इससे विमुख होता है तो उसके अभ्यर्थन/उम्मीदवारी को निरस्त किया जायेगा।**

प्रत्येक छात्र/छात्रा की बायोमेट्रिक डेटा का सत्यापन तीन तिथियों पर किया जायेगा, प्रथमतः काउंसिलिंग के समय, द्वितीय प्रवेश के तुरन्त पश्चात् तथा तृतीय प्रवेश के बाद छः माह के बाद की तिथि (जोकि प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा।)

7. सुरक्षा जांच हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात भी रूकना पड़ सकता है। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी अपनी वापसी–यात्रा की योजना इसे ध्यान में रखते हुये बनाएं।

3. अर्हताएं (Eligibility)

(क) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा खण्ड–11 में प्रमाण पत्र–1 की टिप्पणी में दी गयी है।

(अ) जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उ.प्र. से उत्तीर्ण की हो, उन्हें उ.प्र. में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ब)* ऐसे छात्र, जिन्होने हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''सामान्य निवास प्रमाण पत्र'' काउंसिलिंग के समय

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो मद संख्या–11 में प्रमाण पत्र 1 (क) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(स)* ऐसे छात्र, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को काउंसिलिंग/प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''मूल निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो मद संख्या–11 में प्रमाण पत्र 1 (ख) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मूल निवासी की परिभाषा खण्ड–11 में प्रमाण पत्र –1 (ख) के प्रारूप में दी गयी है।

*** उपरोक्त बिन्दु 'ब' तथा 'स' से आच्छादित छात्रों के निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है, शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में यथासमय दैनिक समाचार पत्रों तथा वेबसाईट www.updgme.in एवं www.cpmtup2016.org पर गाईडलाइन्स जारी की जाएंगी।**

(ख) आयु सीमा

प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 31 दिसंबर 1999 को या उसके पूर्व हुआ हो। आयु के सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी।

(ग) शैक्षिक अर्हता

(i) इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी0पी0एम0टी0 2016 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगें। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी जो अर्हकारी परीक्षा 2016 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु सी0पी0एम0टी0 में सफल होने पर सम्बन्धित पाठ्यक्रम आवंटन/प्रवेश तभी अनुमान्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

- शासनादेश संख्या – 2991/71–2–12–55/2012 दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने/काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाये तथा यदि उन्हें काउन्सिलिंग के उपरान्त वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने के उपरान्त नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र होगें।
- एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन 1997 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेज़ी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी जो निम्नवत हैं:–

(a) The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years

educational structure as recommended by the National Committee on Education. Note: Where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical/Dental/Ayurvedic/ Homoeo-pathic/Unani College.

Or

(b) The intermediate examination in science of an Indian University, Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

Or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology, after passing either the higher secondary school examination or the pre-university of an equivalent examination shall include a practical test is Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology and also English as a compulsory subject:

Or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

Or

(e) B.Sc examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc examination with not less than two of the following subjects in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio- Technology and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects - Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and English.

Or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board taking Physics, Chemistry and Biology/Bio- Technology including a practical test in each of these subjects and English.

(ii) सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत तथा सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा में भी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) अनुसूचित–जाति, अनुसूचित–जनजाति एवं अन्य–पिछड़ा–वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त दोनों परीक्षाओं में 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iv) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी केवल बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(v) यूनानी कालेजों में बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सी0पी0एम0टी0 2016 में सम्मिलित होने के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा–10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। (काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।

(vi) बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 तथा बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रमों हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सी0पी0एम0टी0 में न्यनूतम अर्हता प्राप्तांक 35 प्रतिशत होगा।

(vii) आवेदनकर्ता ''अभ्यर्थी–घोषणा–पत्र'' (Candidate's Declaration Form) पर विशेष ध्यान दें। ऑन–लाइन आवेदन–पत्र का प्रिन्ट लेने पर आवेदन–पत्र के साथ द्वितीय पृष्ठ के रूप में ''अभ्यर्थी–घोषणा–पत्र'' स्वतः प्रिन्ट हो जायेगा। इसे पूर्णरूप से भरकर अपनी फोटो को चिपका कर सत्यापित करें और अपने मूल हस्ताक्षर, दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप तथा अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर इसे सुरक्षित रख लें। घोषणा–पत्र काउन्सिलिंग के समय मूलरूप में लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय घोषणा–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर आवेदनकर्ता के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आरक्षण (Reservation)

(अ) सी.पी.एम.टी.–2016 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'उर्द्धवाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित–जाति (S.C.) के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित–जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3. अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना सं. 1576/17–वि. 1–1(क)11–2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1/2002 की ''अनुसूची–एक'' में इंगित वर्गों से है। पिछडे वर्ग के वह अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की 'अनुसूची–दो' अधिसूचना संख्या 22/16/12–का 2/1995 टी.सी. दिनांक 8–12–1995 द्वारा यथासंशोधित से आच्छादित न हो उनके ही पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1576/सत्रह–वि–1(क)–11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या–1 सन 2002 भी प्रभावी होगा।

सामान्य–वर्ग (U.R.)- के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तर–अ में उल्लिखत वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा।

(ब) सी.पी.एम.टी.– 2016 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत **'क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation)** प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेंनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों,

नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडटों को निम्नवत् 'क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation) प्रदान किया जायेगा–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) के लिए–	02 प्रतिशत
2. भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए–	02 प्रतिशत
3. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए–	03 प्रतिशत
4. महिला अभ्यर्थियों के लिए–	20 प्रतिशत
5. बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट–	01 प्रतिशत

यह आरक्षण **'क्षैतिज' (Horizontal)** प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा जिससे वह सम्बन्धित हैं। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों)/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न हो कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों), भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों विकलांग श्रेणी एवं 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेटों के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरूद्ध समायोजित किये जायेंगे।

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगाः–

(क) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उपश्रेणी, जिसके अंतर्गत वह सी.पी.एम.टी.–2016 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। श्रेणियों का विवरण तथा कोड खण्ड–10 में दिये गये हैं। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण–पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अहर्ता खण्ड–3(ग) में दिए के प्राविधान लागू होंगे। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को खण्ड–11 के प्रमाण पत्र संख्या–2 पर शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप–2 के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(ङ) विकलांग अभ्यर्थियों को सुरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस./बी.एच.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सा परीक्षा मेडिकल विश्वविद्यालय तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। उक्त विशेष बोर्ड के गठन के संबंध में आवश्यक आदेश महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात काउन्सिलिंग के पहले प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में दिनांक 15 जून 2016 (संभावित तिथि) को बैठेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांग श्रेणी में अर्ह घोषित किये जायेंगे। केवल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र–3 पर दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में विकलांगता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी सी.पी.एम.टी. के किसी भी पाठ्यक्रम में अर्ह नहीं होंगे। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र सं. एम.सी.आई–34(1)(GEN/2009.मेड/2569 दिनांक 21.04.2009 की व्यवस्था के अनुसार प्रथम काउन्सिलिंग में 50% से 70% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें आवंटित की जायेंगी। द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि विकलांग सीटें शेष रहती हैं तो ओपन कटेगरी सीट में शामिल करने से पूर्व इन सीटों को 40% से 50% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जायेगा।) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए केवल महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रमाण–पत्र–3) पर दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे (संगत प्रमाण–पत्रों के प्रारूप खण्ड–11 में संलग्नकों के रूप में प्रदर्शित हैं।)।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण–पत्र–4 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) द्वारा अपने दावे के सर्मथन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–5 पर ही प्रस्तुत करना होगा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–6 पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडेट को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–7 पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(छ) कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को इस संबंध में काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र से प्रमाणित छायाप्रति की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ज) स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को सी0पी0एम0टी0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

5. प्रवेश–पत्र (Admit Card)

No admit card will be sent by post. Admit Card shall be available for download on the assigned website for CPMT-2016, www.cpmtup2016.org

Admit Card can be downloaded using your valid Registration Number and Password during 11 to 16 May 2016.

Candidate should provide their valid e-mail/mobile number to recieve important informations.

प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र इंटरनेट पर CPMT-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रवेश पत्र दिनांक 11 मई से 16 मई 2016 तक download कर सकते हैं। इसके लिए आपके द्वारा फार्म भरते समय प्रयोग किये गये Registration Number तथा Password की आवश्यकता होगी। कृपया अभ्यर्थी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैध ई–मेल/मोबाइल नम्बर उपलब्ध करायें।

(क) प्रवेश पत्र इंटरनेट पर CPMT-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी इंटरनेट से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर **रंगीन प्रिंट** करेंगे। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा न ही कोई डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी होगा। यथा संभव प्रयास किया जायेगा कि प्रथम वरीयता नगर में ही उसे केन्द्र आवंटित किया जाय। परन्तु परीक्षक संस्था प्रथम वरीयता नगर के अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय वरीयता नगर में भी केन्द्र आवन्टित कर सकती है एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्राचार अथवा आवेदन पोषणीय नहीं होगा। अभ्यर्थी **CPMT** वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र ज्ञात कर सकता है।

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसे सी.पी.एम.टी – 2016 के लिए अर्ह पाया गया हो और जो किसी भी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो, परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अगले वर्षों के सी.पी.एम.टी. के लिए समायोजित किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही सी.पी.एम.टी.–2016 में बैठने की अनुमति दी जायेगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को सी.पी.एम.टी–2016 में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो, चाहे उस अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र दे दिया गया हो, और उस प्रवेश–पत्र

को सी.पी.एम.टी–2016 परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो भी चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.–2016 को अधिकार है कि वह परीक्षा में बैठने की इस अनुमति को निरस्त कर सकता है।

(ङ) किसी भी दशा में सी.पी.एम.टी–2016 का आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा न ही अग्रिम वर्षों में समायोजित किया जायेगा।

6. अनुचित साधन (Unfair Means)

सी.पी.एम.टी.–2016 में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर चाहे उनका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जायेगा। परीक्षा स्थान पर कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, लॉगटेबल, लैपटाप पेजर या सेल्यूलर फोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेकर जाना या प्रयोग करना या अन्य किसी अवांछनीय वस्तु या माध्यम का प्रयोग करना अनुचित साधनों (Unfair Means) का प्रयोग करना माना जायेगा।

7. चयन एवं काउंसिलिंग (Selection & Counseling)

7.1 मेरिट सूची :

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम सी0पी0एम0टी0 में उसे प्राप्तांकों के आधार पर होगा एक से अधिक अभ्यर्थियों के चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है, तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः संबंधित अभ्यर्थियों के जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों में मेरिट क्रम में किया जायेगा। जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्र में भी एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्रश्न–पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक का अवधारण न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान के प्रश्न–पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम जन्मतिथि के आधार पर (ज्येष्ठ को वरीयता) किया जायेगा।

7.2 परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा :

(क) सी.पी.एम.टी.–2016 के परीक्षाफल/मेरिट सूची/प्राप्ताकों की सूचनायें डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की CPMT-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर प्रकाशित होगी। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि होती है तो आवश्यक संशोधन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित कराया जायेगा (इसके अलावा अगर कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप अनाधिकृत रूप से प्रकाशित करता है एवं उसमें गलतियां रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता है तो इसके लिए चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.–2016, उत्तर–प्रदेश शासन अथवा चेयरमैन काउंसिलिंग बोर्ड किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे व उसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा)।

(ख) परीक्षाफल/मेरिट सूची CPMT-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org पर उपलब्ध करायी जायेगी। डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। वेबसाइट पर Answer Key भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) स्क्रूटनी (पुनरीक्षण) का प्रावधान : अभ्यर्थी प्राप्त अंकों का आंकलन स्वयं OMR Answer Sheet की कार्बन प्रतिलिपि के उत्तरों (Solution) से मिलाकर कर सकता है। परन्तु यदि उसे प्रतीत होता है कि कोई त्रुटि हो गयी है तो वह सी.पी.एम.टी.–2016 को रू0 350/–प्रति प्रश्न पत्र का बैंक ड्राफ्ट, जो चेयरमैन, सी.पी.एम.टी.–2016, डॉ0 राम मनोहर लाहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में देय हो, भेजकर परीक्षाफल घोषित होने के 03 दिन के अन्दर सादे कागज पर अथवा पंजीकृत ई–मेल एड्रेस से आवेदन के साथ स्क्रूटनी करा सकता है।

7.3 काउंसिलिंग सबंधी सूचना :

(क) परीक्षा–फल घोषित होने के उपरान्त शासनादेश संख्या–2061/71–2–11–90/05, दिनांक 05.07. 2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कानफ्रेन्सिंग के माध्यम से काउन्सिलिंग की जायेगी। काउन्सिलिंग संबंधी विवरण एवं प्रक्रिया CPMT-2016 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpmtup2016.org एवं www.updgme.in पर काउन्सिलिंग से पूर्व समावेशित कर दिये जायेंगे।

काउंसिलिंग की प्रस्तावित तिथियों सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण इस विवरणिका के पृष्ठ 4 पर विस्तार से उपलब्ध है।

(ख) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग 06 जुलाई 2016 से 15 जुलाई 2016 के मध्य होगी। मान्यता प्राप्त कॉलेजों के एम.बी.बी.एस., बी.डी. एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों हेतु काउंसिलिंग की जायेगी तथा काउंसिलिंग संबंधी समय तथा स्थान व अन्य विवरण परीक्षाफल के साथ यथासंभव प्रकाशित किया जायेगा। काउंसिलिंग का कार्य महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ.प्र. द्वारा प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों तथा वेबसाइट (www.updgme.in) में प्रकाशित की जायेगी।

(ग) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग 10 अगस्त 2016 से 22 अगस्त 2016 के मध्य आयोजित की जायेगी जिसका विस्तृत विवरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा समाचार पत्रों एवं वेब साइट में प्रकाशित कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रथम चक्र से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी भी पुनरावंटन हेतु भाग ले सकेंगे। द्वितीय चक्र में प्रोविजनल आवंटन के पश्चात रिक्त उप श्रेणी की सीटों को अन्तिम आवंटन करने से पूर्व उनकी मूल श्रेणी में समायोजित कर आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटों का आवंटन अन्तिम करने से पूर्व अनुसूचित जाति की सीटों में सम्मिलित कर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि अन्तिम आवंटन से पूर्व यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्ह अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने के पश्चात भी इन श्रेणियों की सीटें रिक्त रह गयी है, तो उन्हें भी सामान्य सीटों में जोड़कर आवंटित कर दिया जायेगा।

7.4 काउंसिलिंग :

(क) मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को स्वयं सी.पी.एम.टी.–2016 के प्रवेश पत्र तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।

1. अहर्ता खण्ड–3 में वर्णित अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र तथा/अथवा अंकतालिका (इंटरमीडिएट/इंटरमीडिएट एवं बी.एस.सी.)।

2. ऑन–लाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी से बना हुआ दो फोटोग्राफ।

3. श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों) मूल–रूप (Original) में ।

4. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र (Original Certificate) ।

5. यदि बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हों तो दसवीं कक्षा के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र (Original Certificate) ।

6. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का मूल उपयुक्त प्रमाण–पत्र (Prescribed Certificate in Original) ।

7. आवेदन–पत्र (Application Form) – फार्म भरते समय अभ्यर्थी को फार्म का प्रिंट निकालना अनिवार्य है अथवा इसको save कर के रख लें। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र खो जाता है तो उसे सी.पी.एम.टी.–2016 के लिए निर्धारित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में रू0 350/– जमा करने होगें उसके पश्चात ही द्वितीय आवेदन–पत्र प्रदान किया जायेगा।

8. प्रवेश–पत्र (Admit card) - यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है इसमें कक्ष–निरीक्षक के हस्ताक्षर होगें अतः इसे अत्यंत सावधानी से रखें। यदि किसी कारणवश यह खो जाता है तो आपको पुलिस एफ0आइ0आर0 की मूलप्रति एवं सी.पी.एम.टी.–2016 के लिए निर्धारित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में 350/– रूपये की धनराशि जमा करने होगें उसके पश्चात ही इस पर विचार किया जायेगा।

9. घोषणा–पत्र (Declaration Form) की मूल प्रति खो जाने पर CPMT-2016 के लिए निर्धारित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में 350/– रूपये जमा करके प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।

खण्ड–7.3(क) के बिन्दु 7, 8, 9 के सन्दर्भ में अभ्यर्थी को प्रथमतः helplinecpmt2016@gmail.com पर आवेदन करना होगा, तत्पश्चात प्राप्त उत्तर के आधार पर निर्धारित खाता संख्या में सम्बन्धित धनराशि जमा करनी होगी।

(ख) काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ग) पाठ्यक्रमों की सूची खण्ड–1(क) में दी गयी है । कॉलेजों की सूची खण्ड–8 में दी गई है इस सूची में काउन्सिलिंग के समय या उसके पूर्व परिवर्तन हो सकता है।

(घ) अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके स्टेट रैंक (Combined General Rank) के अनुसार काउंसिलिंग के लिए बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों/कालेजों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा। आरक्षित श्रेणियों की काउन्सिलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने स्टेट रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। हॉरिजॉन्टल श्रेणी (FF – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, ES- भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री, PH – विकलांग, (WC) – महिला NCC एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक), के अभ्यर्थियों को भी स्टेट रैंक के अनुसार ही काउन्सिलिंग में भाग लेना होगा। अलग से उपश्रेणियों की काउंसिलिंग नहीं होगी। जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे केवल उन्हें ही उपश्रेणियों में समायोजन के लिये अर्ह माना जायेगा।

(ङ.) काउन्सिलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि रू0 5,000/– तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से बैंक में जमा करना होगा। इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण काउंसिलिंग की समय सारिणी के साथ दैनिक समाचार पत्रों तथा वेबसाईट www.updgme.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(छ) समस्त काउंसिलिंग प्रक्रिया के पश्चात अपरिहार्य कारणों से रिक्त हुई एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों को विशेष आवंटन (MOP UP ROUND) के माध्यम से भरा जाएगा, जिसमें सी0पी0एम0टी0 2016 में उत्तीर्ण एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु अर्ह अभ्यर्थी जिनके पास पास मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, ही भाग लेने हेतु अर्ह होंगे। **विशेष आवंटन (MOP UP ROUND) में अभ्यर्थियों को समान पाठ्यक्रम में कालेज का परिवर्तन/पुनरावंटन** (Reshuffeling) **अनुमन्य नहीं होगा, यद्यपि पाठ्यक्रम/विधा परिवर्तन (Course Change) का विकल्प ही अनुमन्य होगा।**

विशेष आवंटन (MOP UP ROUND) हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह **<u>नही होंगे</u>**–

1– सी0पी0एम0टी0–2016 की काउंसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/अप्रवेशित/ त्यागपत्र दे चुके) अभ्यर्थी।

2– अखिल भारतीय प्रवेष परीक्षा/All India quota 2016 के माध्यम से प्रवेषित अभ्यर्थी।

3– विशेष आवंटन (MOP UP ROUND) में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ज) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे देता है (यू0पी0सी0पी0एम0टी0 की काउंसिलिंग में पुनरावंटन की स्थिति को छोडकर), तो उसे उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/– वापस नहीं की जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि काउन्सिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के लिए शहरों का चयन (Choice of Cities for C.P.M.T.): किन्ही तीन शहरों का चयन वरीयता क्रम में दिये हुये कोड के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार करिये :

S.No.	CITY	CITY CODE
1.	AGRA	21
2.	ALIGARH	22
3.	ALLAHABAD	23
4.	BAREILLY	24
5.	FAIZABAD	25
6.	GHAZIABAD	26
7.	GORAKHPUR	27
8.	JHANSI	28
9.	KANPUR	29
10.	LUCKNOW	30
11.	MEERUT	31
12.	MORADABAD	32
13.	NOIDA	33
14.	SAHARANPUR	34
15.	VARANASI	35

8. कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या
(List of Colleges, Courses and Available Seats)

	पाठ्यक्रम/कॉलेजवार सीटों की कुल संख्या
(क) एम.बी.बी.एस. (MBBS) पाठ्यक्रम	
1. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ*	210
2. जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
3. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा*	124
4. एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद*	124
5. एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलेज, मेरठ*	124
6. एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी*	82
7. बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर*	82
8. उ.प्र. ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा*	128
9. राजकीय एलापैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर*	85
10. राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज*	85
11. राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन*	85
12. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ*	85
13. राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर*	85
योग : ऐलोपैथिक	**1458**

नोटः– *भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ख) बी.डी.एस. (BDS) पाठ्यक्रम	
1. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ (दंत संकाय)	**51**
(ग) बी.एच.एम.एस. (BHMS)पाठ्यक्रम	
1. नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ*	50
2. लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद*	50
3. कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कानपुर*	50
4. डॉ. बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद*	30
5. श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़*	30
6. गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर*	50
7. केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद*	40
योग : बी.एच.एम.एस.	**300**

नोटः– * भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(घ) 'बी.ए.एम.एस. (BAMS)पाठ्यक्रम*	
1. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ*	50

2. ललितहरि आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत*	50
3. आयुर्वेदिक कॉलेज, अतर्रा (बांदा)*	40
4. बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज, झांसी*	40
5. शाहू रामनारायण मुरली मनोहर आयुर्वेदिक कॉलेज, बरेली*	40
6. स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुर, मुजफ्फरनगर*	30
7. लालबहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, हंडिया, इलाहाबाद*	30
8. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वाराणसी*	40
योग : बी.ए.एम.एस.	**320**

नोटः– * भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

(ड.) बी.यू.एम.एस. (BUMS)पाठ्यक्रम

यूनानी मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	40
तकमिल–उत्तिब कॉलेज, लखनऊ	40
योग : बी.यू.एम.एस.	**80**

नोटः–* भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

Note: Seats can be increased or decreased in any institution at any time by the Government.

टिप्पणी : सीटों की संख्या किसी भी संस्था में सरकार द्वारा किसी भी समय बढ़ायी व घटायी जा सकती है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कालेजों की अद्यतन स्थिति–

निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेंटल कालेजों की सीटों पर राज्य सरकार के अधिनियम उ.प्र. निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम–2006 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04.01.2007 लागू है। यह आदेश याचिका संख्या 34(एम. / बी.)2007 एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कालेजेज ऑफ उ.प्र. राज्य व अन्य राज्य में पारित है। अतः जो भारत सरकार से अनमुति प्राप्त / मान्यता प्राप्त कालेज स्वेच्छा से सी.पी.एम.टी. परीक्षा से छात्र / छात्रा लेना चाहेंगे उन्हें ही छात्र–छात्रा आवंटित किये जायेंगे। इस संबंध में शासन / मा. न्यायालय के जो भी आदेश काउंसिलिंग के समय लागू होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. सी0पी0एम0टी0– 2016 प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम
(Syllabus for C.P.M.T.-2016 Entrance Examination)

सी.पी.एम.टी.–2016 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों अर्थात जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तथा वनस्पति विज्ञान में परीक्षा ली जायेगी। सी.पी.एम.टी.–2016 की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 नम्बर का होगा। प्रश्नपत्र के लिए 3 घण्टे की समयावधि निर्धारित है। सभी विषयों के प्रश्न–पत्र यू0पी0 बोर्ड के इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम (2016) पर आधारित होंगे। परीक्षा एक दिन में तथा एक ही पाली में आयोजित की जायेगी।

10. आरक्षण श्रेणियों का कोड
(Code for Various Reserve Categories)

श्रेणी	कोड
सामान्य (U.R.)	**10**
सामान्य–स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	15
सामान्य भूतपूर्व सैनिक / युद्ध में शहीद / अपंग का पुत्र / पुत्री	16
सामान्य विकलांग	17
सामान्य–एन.सी.सी.–सी सर्टिफिकेटधारी	18
अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.)	**20**
अन्य पिछड़ा वर्ग–स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	25
अन्य पिछड़ा वर्ग–भूतपूर्व सैनिक / युद्ध में शहीद / अपंग के पुत्र / पुत्री	26
अन्य पिछड़ा वर्ग–विकलांग	27
अन्य पिछड़ा वर्ग–एन.सी.सी.– सी. सर्टिफिकेटधारी	28
अनुसूचित–जाति (S.C.)	**30**
अनुसूचित जाति–स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	35
अनुसूचित जाति–भूतपूर्व सैनिक / युद्ध में शहीद / अपंग के पुत्र / पुत्री	36
अनुसूचित जाति–विकलांग	37
अनुसूचित जाति–एन.सी.सी.–सी. सर्टिफिकेटधारी	38
अनुसूचित–जनजाति (S.T.)	**40**
अनुसूचित जनजाति–स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक आश्रित	45
अनुसूचित जनजाति–भूतपूर्व सैनिक / युद्ध में शहीद / अपंग के पुत्र / पुत्री	46
अनुसूचित जनजाति–विकलांग	47
अनुसूचित जनजाति–एन.सी.सी.–सी सर्टिफिकेटधारी	48

11. (प्रमाण–पत्रों का प्रारूप / Format of Certificates)

(नीचे दिये गये प्रारूपों में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण पत्र प्रारूप नं. 1 (क)

(केवल उन्ही अभ्यर्थियों के लिए जिन्होने हाईस्कूल अथवा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

(यू0पी0सी0पी0एम0टी0 हेतु मान्य)

कार्यालय जिलाधिकारी ....(जनपद का नाम)

''सामान्य निवास प्रमाण पत्र''

प्रमाण पत्र संख्या.................................   दिनांक ....

तहसीलदार .... की जॉच आख्या दिनांक .... के आधार पर एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी मकान नं0.......................ग्राम / मोहल्ला....... .... थाना................ .... तहसील.. जिला .... उत्तर प्रदेश का / की निवासी हैं तथा इनका वर्तमान पता है। उपर्युक्त की पुष्टि आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा तहसीलदार ....की आख्या से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 के .... जनपद का सामान्य निवासी होने (ORDINARILY RESIDENT) विषयक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

स्थान...........................

हस्ताक्षर..
पूरा नाम...
पदनाम तथा सील..
(उ0प्र0 में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपरोक्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख / प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:–

1– केन्द्रीय / राजकीय सेवा / सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता / माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी / पिता / माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन / भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री / खसरा / खतौनी / पासपोर्ट / रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता / माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन / भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री / खसरा / खतौनी।

अथवा

4–उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) को पिता / माता का सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा

1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों, जिन्होने हाईस्कूल अथवा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो, को उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा यू0पी0सी0पी0एम0टी0 के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य के प्री–मेडिकल टेस्ट हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा वह अखिल भारतीय स्तर की प्री–मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य की स्टेट मेरिट हेतु भी अभ्यर्थी नहीं है।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री / श्रीमती / कुमारी..श्री.......................के पुत्र / पुत्री हैं, जो........ ....(देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....   जिलाधिकारी के हस्ताक्षर..

दिनांक ....   जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)...........................

सील

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 1 (ख) (UPPR)

(उ.प्र. में मूल निवास का प्रमाण पत्र)

संख्या.............................. दिनांक ....

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थीश्री/श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं.................................... को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या...................................... के अन्तर्गत आता है।
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर...

हस्ताक्षर...

दिनांक .... पूरा नाम ....

पदनाम तथा सील..

(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

टिप्पणी :

1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

(क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

(ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन–पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं हैं।

अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) को पिता/माता का सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अथवा

(घ) विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

2. अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा

(i) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(ii) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

(iii) देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपरोक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1– केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4–विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर सी.पी.एम.टी. में प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमन्य होगा

1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

(iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों, जिन्होने हाईस्कूल एवं अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो, को उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा यू0पी0सी0पी0एम0टी0 के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य के प्री–मेडिकल टेस्ट हेतु आवेदन नहीं किया गया है वह अखिल भारतीय स्तर की प्री–मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य की स्टेट मेरिट हेतु भी अभ्यर्थी नहीं है।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. .... श्री.. के पुत्र/पुत्री हैं, जो.............................. .... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक ....
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
सील

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्ररूप नं. 2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPOBC)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री/श्री.. .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... .जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तगर्त मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनसूची–दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपए या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील............................नगर ....जिला...................................... में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर | हस्ताक्षर...

दिनांक .... | पूरा नाम ....

स्थान... | पद नाम तथा सील..मुहर ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

NOTE: This certificate will be acceptable only if it is issued after December 10th, 2015. Profoma of certificate shall change according to latest Govt. order.

नोट : दिनांक 10 दिसम्बर 2015 के बाद जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण–पत्र का प्रारूप, शासन के अध्याविधि आदेश के अनुसार होना चाहिए।

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2. टरख, अर्कवंशीय
3. काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य
4. कहार, कश्यप
5. केवट या मल्लाह, निषाद
6. थकसान
7. कोइरी
8. कुम्हार, प्रजापति
9. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी सैथवार
10. कम्बोज
11. कसंगर
12. कुजड़ा या राईन
13. गोसाई
14. गूजर
15. गड़ेरिया, पाल, और बघेल
16. गद्दी, घोशी
17. थगरि
18. चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक
19. छीपी, छीपा
20. जेगी
21. झोजा
22. डफाली
23. तमोली, बरई, चौरसिया
24. तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार
25. दर्जी, इदरीसी, काकतस्था
26. धीवर
27. नक्काल
28. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
29. नायक
30. फकीर
31. बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी
32. बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान
33. बरी
34. बैरानी
35. बिन्द
36. बियार
37. भर, राजभर
38. भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन
39. भठियारा
40. माली, सैनी
41. मनिहार, कचेर, लसैरा
42. मुराव या मुराई, मौर्य
43. मोमिन अंसार
44. भिरासी
45. मुस्लिम कायस्थ
46. मारछा
47. रंगरेज, रंगवा
48. लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी–राजपूत
49. लोहार, शैफी
50. लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहा
51. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
52. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर
53. हलवाई मोदनवाल
54. हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास
55. रायसिख
56. सक्का भिस्ती, भिश्ती अब्बासी
57. धोबी (जो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियां गंधी, अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
58. कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार
59. नानबाई
60. मैर शिकार
61. शेख, सरबरी (पिराई) पीराही
62. मेद, मेवाती
63. कोष्टा / कष्ठी
64. रोड
65. खुमरा, संगत राम, हसीरी
66. मोर्चा
67. खागी
68. तंवर सिंघाड़िया
69. कतुआ
70. महीगीर
71. छांगी
72. धाकड़
73. गाड़ा
74. तंतवा
75. जोरिया
76. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
77. जाट
78. कलाल, कलवार, कलार
79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरेकिरण (कर्ण)

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्देष्ट से कर लिया जाय।

प्रमाण–पत्र प्ररूप नं. 3

विकलांग अभ्यर्थी के लिए विकलांगता प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPPH)

संख्या .... दिनांक.......................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सी0पी0एम0टी0–2016 .... अनुक्रमांक* पुत्र/पुत्री श्री ....सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते/आती हैं, कि एम.सी.आई. के पत्र सं.–एम.सी. आई.–34(1)/2009–मेड/02569, दिनांक 21. 04.2009 के अनुसार श्री/श्रीमती/ कुमारी....................................... की सिर्फ लोवर लिम्ब की विकलांगता 50% से 70%** अथवा 40% से 50%** के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर................................ अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील एवं फोटोग्राफ

प्रति हस्ताक्षरित

मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण–पत्र जारी करें।

** नोटः– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय। यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण–जारी न किया जाये।

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 4

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील..नगर...जिला.. उत्तर प्रदेश राज्य की.................................. जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री / श्रीमती / कुमारी..तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ....ग्राम................ .... तहसील...नगर.. जिला..में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
पूरा नाम ....
पदनाम तथा सील ....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1. अगरीया
2. बधिक
3. वदी
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बजगी
9. ब्लहर
10. बलई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुश
14. बांसफोर
15. बरवार
16. बसोड़
17. बयरिया
18. बेलदार
19. बेड़िया
20. भ्रांतु
21. भुइया
22. बोरिया
23. भदयार
24. चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव
25. नेरो
26. छबगर
27. धागंर
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरमी
35. धसिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबुड़ा
39. केली
40. केला
41. क्लाबाज़
42. कंजड़
43. कबडिया
44. करबल
45. खरैता
46. खरबार (बनवासी को छोड़कर
47. खटिक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. ललबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. पहरिया
59. पसी, तरमाली
60. पतरी
61. श्रावत
62. सहरिया
63. सनोरिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू
2. बेनस
3. भोटिया
4. श्राजी
5. जौनसारी

शासनादेश संख्या–111 भा.स./26.03. 2003(7) /2003 दिनांक 3.07.2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया है:–

6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
12. अगरिया (सोनभद्र जनपद में)
13. पटारी (सोनभद्र जनपद में)
14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग–1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश–2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश–2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 5 (UP FF)

संख्या.................... **दिनांक........................**

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..निवासी.................................. .... ग्राम .... तहसील.. नगर.......................... ....जिला... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)...पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान .... हस्ताक्षर...............................

दिनांक... पूरा नाम.............................

पद नाम..............................

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर... मोहर ....

जिलाधिकारी

(सील)

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्ररूप नं. 6

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...निवासी .... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय..सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक.......... .... को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री .... भारतीय....................................... सेना की यूनिट..... ....में नियुक्त थे।

दिनांक

सेना की संबधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .... दिनांक ....

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी..निवासी ....उपरोक्त श्री .... के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता

थल/नभ/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम

यूनिट की संख्या व पता

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 7 (UPNC)
राष्ट्रीय कैडेट कोर
NATIONAL CADET CORPS
प्रमाण पत्र "सी"
CERTIFICATE "C"

सं. .... रैंक ....

No. .... Rank ....

नाम .... सुपुत्र / सुपुत्री ....

Name .... Son/Daughter of...

यूनिट ....

Unit ....

NCC Directorate (राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय)...

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन्.................................. में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in 'B' Grade held in year.................... under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.

Sl. No. ....

स्थान

Place...

दिनांक

Date..

Brigadier
Dy DG NCC DTE (UP&UA) Lucknow
उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Dy. Director General, National Cadet Corps

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।